तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास० : 2321214
फैक्स : 0517 — : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI
B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)
झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

Chief Proctor's Message

For the smooth functioning of the University the maintenance of law and order is very important, especially for a conducive academic atmosphere in the Campus. Proctorial Board of the University assigned this task in form of the following mandate for accomplishment of the real purpose:

- Monitoring the disciplinary atmosphere among the students community.
- Regulation and maintenance of vehicular traffic in the Campus and their parking at different gates of the Campus.
- Taking preventive steps such as issuance of notices, warnings, instructions, regulating certain acts and other arrangements for the purpose of forestalling acts of individual and collective indiscipline.
- Maintain liaison with the State administration in matters regarding the law and order in the campus.
- Providing security for various examination centers during entrance/ admission tests to ensure free and fair conduct of examination.
- There is an anti-ragging Cell headed by Chief Proctor with other Proctors as members to curb the menace of ragging from the Campus. Besides, the Office has been running a Disaster Management Cell from last three years.

Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
Mob: 9076501608, 9412322576

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास० : 2321214
फैक्स : 0517 — : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI
B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)
झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

Anti-Ragging Problems and their resolutions

Anti-ragging committee members

(a) **Prof. Rajesh Kumar Saini** — Chairman
Chief Proctor (7318042120)
(b) **Dr. Prem Prakash Singh** — Convener
Assistant Proctor (9598181115)
(c) **Dr. Sunil Trivedi** — Member
Assistant Proctor (9450332171)
(d) **Dr. Shubhangi Nigam** — Member
Assistant Proctor (9450068412)

Case I: Mrinal Kumar for the allegations he imposed on the faculty and the senior students of the department.

Investigation report submitted by the Anti-ragging committee:

1. The members of the anti-ragging committee personally met the faculty and students of the Institute of Biomedical Sciences and investigated the charges made by Mrinal Kumar for the allegations he imposed on the faculty and the senior students of the department.
2. The investigations made by the anti-ragging committee finally submitted their conclusive report which includes the following conclusions:

   (a) All the charges imposed by Mrinal Kumar are false and irrelevant.
   (b) No ragging was reported by any senior students against Mrinal Kumar.
   (c) Written joint statements of **Dr. LavkushDwivedi**, **Dr. Shiv Shankar**, and **Mr. Vigyan Singh** have been taken along with all relevant documents as evidence.

2. Report should be on the letterhead of the institution or with the stamp of the Head of the institution in pdf, doc, or JPEG format along with all the supporting documents.
   a. **Report available on the letterhead of the University with the stamp.**
3. Kindlymention your Regulatory Authority (i.e., UGC, MCI, NAAC, MHRD, AICTE, etc.)
   a. **UGC, AICTE approved.**
4. Details of the punishment for the culprit, if any, etc.
   a. **No culprits.**

Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
Mob: 9076501608, 9412322576

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास० : 2321214
फैक्स : 0517 — : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

Anti-Ragging Problems and their resolutions

Anti-ragging committee members

(a) **Prof. Rajesh Kumar Saini** Chief Proctor (7318042120)	Chairman
(b) **Dr. Prem Prakash Singh** Assistant Proctor (9598181115)	Convener
(c) **Dr. Sunil Trivedi** Assistant Proctor (9450332171)	Member
(d) **Dr. Shubhangi Nigam** Assistant Proctor (9450068412)	Member

Case II: Charges imposed by B. Pharma (I year) for ragging in the class and hostel

The anti-ragging committee meet personally to every student of B. Pharma (I year) and every student of B.Sc. (Ag.), IInd year to invigilate for any type of ragging on or off the campus. (List of all students attached).

(i) Conclusions of the invigilation: **No ragging for any students**

(ii) Report should be on Letter Head of the institution or with the stamp of the Head of Institution in pdf, Doc or JPEG format along with all supported documents.
Report available Letter Head of the University with seal.

(iii) Kindly mention your Regulatory Authority (i.e. UGC, MCI, NACC, MHRD, AICTE etc.)
UGC, AICTE approved

(iv) Details of punishment for the culprits- if any etc.
No culprits

Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
Mob: 9076501608, 9412322576

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास० : 2321214
फैक्स : 0517 – : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI
B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)
झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

Anti-Ragging Problems and their resolutions

Anti-ragging committee members

(e) **Prof. Rajesh Kumar Saini,** Chief Proctor (7318042120) Chairman

(f) **Dr. Prem Prakash Singh,** Assistant Proctor (9598181115) Convener

(g) **Dr. Sunil Trivedi,** Assistant Proctor (9450332171) Member

(h) **Dr. Shubhangi Nigam,** Assistant Proctor (9450068412) Member

Case III: Charges imposed by B.Tech Food Technology 1st year student are somewhat true and some are imposed on impulse,

Investigation report submitted by the Anti-ragging committee:

3. With Reference to Complaint no.-**ARCC/UP-7173,** the members of the anti-ragging committee personally met the HOD of the respective departments of the students i.e. Shvanshu Pal (B.Tech Food Technology), Atul Kumar Chobe (B.Sc. Ag), Rohit Kumar Singh (B.Sc. Biotech) and Priyanshu Singh (B.Tech Electronics) to investigate the charges made by B.Tech Food Technology 1st year student. The committee finds the facts about all allegations he imposed on the senior students of the department for abusing, and threatening to kill him in hostel, and forcing him to stand till late at night in the hostel.
4. After investigations made by the anti-ragging committee, finally submitted their conclusive report which includes the following inferences:
   a) All the charges imposed by B.Tech Food Technology 1st year student are somewhat true and some are imposed on impulse, but no ragging was reported by any senior students against B.Tech Food Technology 1st year student.
   b) However on the basis of complaint made by victim, all above culprits have submitted their apologies letters as they stated that such kind of misconducting will not be repeated in future.
   c) Now victim is feeling safe and anti- ragging committee assured that committee and University are with him.
5. Report should be on the letter head of the institution or with the stamp of the Head of the intuition in pdf, doc, or JPEG format along with all the supporting documents.
   Report available on the letterhead of the University with the stamp.
6. Kindlymention your Regulatory Authority (i.e., UGC, MCI, NAAC, MHRD, AICTE, etc.)
   UGC, AICTE approved.
7. Details of the punishment for the culprit, if any, etc.
   Apology letter Attached

Registrar
Bundelkhand University

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास० : 2321214
फैक्स : 0517 — : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI
B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)
झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

Anti-Ragging Problems and their resolutions

Anti-ragging committee members

(a) **Prof. Rajesh Kumar Saini** Chief Proctor (7318042120)	Chairman
(b) **Dr. Prem Prakash Singh** Assistant Proctor (9598181115)	Convener
(c) **Dr. Sunil Trivedi** Assistant Proctor (9450332171)	Member
(d) **Dr. Shubhangi Nigam** Assistant Proctor (9450068412)	Member

Case IV: Charges made by MBA 1st year students

1. The members of the anti-ragging committee personally met the faculty and students of the Institute of Management Studies and investigated the charges made by MBA 1st year students. The committee investigated the allegations he imposed on the senior students of the department for abusing, throwing cigarettes weed on his face, and forcing him to stand till late at night in the hostel.

2. The investigations made by the anti-ragging committee finally submitted their conclusive report which includes the following inferences:
   (a) All the charges imposed by MBA 1st year students are false and irrelevant.
   (b) No ragging was reported by any senior students against MBA 1st year students.

3. Report should be on the letterhead of the institution or with the stamp of the Head of the institution in pdf, doc, or JPEG format along with all the supporting documents.
   Report available on the letterhead of the University with the stamp.

4. Details of the punishment for the culprit, if any, etc.
   No culprits.

Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
Mob: 9076501608, 9412322576

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास० : 2321214
फैक्स : 0517 — : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

प्रोक्टोरियल बोर्ड

प्रो० आर ० के ० सैनी डॉ० पुनीत विसारिया डॉ०विनीत कुमार डॉ० सुनील त्रिवेदी डॉ० उपेन्द्र सिंह तोमर

डॉ० ममता सिंह डॉ० रश्मि सिंह डॉ०श्वेता पाण्डेयडॉ० राधिका चौधरी डॉ० ए पी एस गौर

डॉ० प्रशान्त मिश्रा डॉ० सुभांगी निगम डॉ० प्रेम प्रकाश राजपूत डॉ० विजय यादडॉ० मो०नईम

डॉ० संतोष पाण्डेय डॉ० संदीप वर्मा

सत्र 2019 – 2022 तक की समस्याओ एवं उनके निस्तारण के निर्णय

क्र.सं.	छात्र का नाम	विभाग	समस्या का निस्तारण
01.	दिनांक 15/01/2019 प्रशांत रिछारिया, प्रशांत, विशाल साहू से संबन्धित	B.A. (H) Ist year, BCA Ist year, B.A. (H) Ist year	इस बैठक में सर्व सहमति से दोनो पक्षों में आपस में समझोता कर लिया गया है और दोनों पक्षों से भविष्य में कभी कोई गलती नहीं करेगा।
02.	दिनांक 30/03/2019 नंन्दलाल यादव, दीपक मिश्रा से सम्बंधित	B.Pharma. IIIrd year, B.Pharma. Ist year,	इस बैठक में सर्व सहमति से छात्रों को एक सप्ताह के लिए विभाग से बंचित रखा गया, इसके उपरान्त विभाग में आने की अनुमति एवं छात्रों ने लिखित रूप से क्षमा मांगी कि भविष्य में एसी कोई घटना नहीं होगी।
03.	दिनांक 11/04/2019 अभिनव केशरवानी, अमृत राज वर्मा से सम्बंधित	Pharmacy Deptt.	इस बैठक में सर्व सहमती से एक सप्ताह के लिए विभाग से बंचित रखा गया,इसके उपरान्त विभाग में आने की अनुमति मिली।
04.	दिनांक 02/08/2019 आलोक श्रीवास्तव, बीरेन्द्र सिंह से सम्बंधित	BCA IInd Year, BSc Food Tech IInd Year	इस बैठक में सर्व सहमती सेप्रथम दृष्टतया प्रोक्टोरियल बोर्ड ने दोनो को दोषी पाया, इस को बाद दोनो छात्रों को होस्टल से बाहर निकाला गया।
05.	दिनांक 03/09/2019 शनि देओल पुत्र श्री राम चरण	BSc Agriculture	इस बैठक में सर्व सहमती से 03 सितम्बर को प्रोक्टोरियल बोर्ड ने निर्णय लिया कि एक सप्ताह के अन्दर अभिभावक को शपथ-पत्र के साथ कुलानुशासक कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है, उपस्थिति के बाद समस्या का निस्तारण किया कया।
06.	दिनांक 24/01/2020 समता हॉस्टल के लड़को द्वारा छात्रों की बुरी तरह पिटाई की गयी	समता हॉस्टल	उक्त मामले में प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा दोषी छात्रों को तत्काल हॉस्टल एवं विश्वविद्यालय की कक्षाओं से 10 दिनों के लिए निष्कासित करने की अनुसंशा करते हुए समस्या का निवारण किया गया।
07.	दिनांक 31/01/2020 ओ0बी0सी0 पुरुष छात्रावास में अनुशासन हीनता से संबन्धित	ओ0बी0सी0 पुरुष छात्रावास	इस बैठक में सर्व सहमती से उपस्थित छात्र आलोक श्रीवास्तव, हारुन सिद्दकी, संदीप सिंह, आदेश सिंह एवं कार्तिक खरबाल के विरुद्ध समुचिक अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए समस्या का निस्तारण किया गया।
08.	दिनांक 05/02/2020 लॉर्ड बुद्धा छात्रावास में तोड़-फोड़ एवं अनुशासन हीनता से संबन्धित	लॉर्ड बुद्धा छात्रावास	प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा सम्यक जांच के उपरांन्त सभी छात्रों को तत्काल प्रभाव सेलॉर्ड बुद्धा छात्रावाससे निष्कासन कर सभी का विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सभी छात्रावासों में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया।
09.	दिनांक 05/03/2020	B.Com. Ist year	विज्ञान भवन के सामने दोनों छात्रों में आपस में हुयी मार-पीट

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास० : 2321214
फैक्स : 0517 — : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)
झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

	सत्यम यादव, निकेत यादव	B.Com. IInd year (Economics & Finance Deptt.)	को प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक में संज्ञान में लिया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के लिए दिनांक 06/03/2020 से 13/03/2020 तक विभाग में प्रवेश से बंचित रखा गया। एवं समस्या का निस्तारण किया गया।
10.	दिनांक 15/01/2021 पियूष मिश्रा, प्रशांत पिपरिया से संबंन्धित	आई0ई0टी0 विभाग, आई0टी0 विभाग	प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा सम्यक जाँच के उपरान्त लार्ड बुद्धा छात्रों को छात्रावास से तुरन्त प्रभाव से निष्कासित किया गया एवं 18/01/2021 से छात्रों को प्रवेश पूर्णतयः प्रतिबंधित किया गया।
11.	दिनांक 17/03/2021 श्याम बहादुर एवं अनुराग तिवारी से संबंन्धित	आई0टी0एच0एम0 विभाग	उक्त प्रकरण में श्याम बहादुर सिंह चौहान को दोषी पाया गया, एवं दोषी के अभिभावक द्वारा लिखित शपथ-पत्र लिया गया एवं समस्या का निस्तारण किया गया।
12.	दिनांक 03/12/2021 श्रेष्ठ द्विवेदी से संबंन्धित	प्रबंधन एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग	प्रोक्टोरियल बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि आपको दिनांक 10/12/2021 से 24/12/2021 तक बु0वि0 परिसर एवं हॉस्टल से 15 दिन के लिय निष्कासित किया जाता है एवं इस समयावधि में आप अपने अभिभावक को बोर्ड के समक्ष अपनी बात रखने के लिए बुला सकते है, अन्ततः समस्या का निस्तारण किया गया।
13.	दिनांक 08/04/2022 कक्षा में हाथा-पाई के संबन्ध में	समता हॉस्टल एवं फार्मेसी विभाग	घटना में लिप्त छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के समक्ष आपसी समझौता पत्र प्रस्तुत किया जिसके बाद समस्या का निस्तारण किया गया।
14.	दिनांक 12/04/2022 उदयराज पुत्र चंद्र प्रकाश से संबन्धित	बायोमेडिकल विभाग	प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने छात्र उदयराज से पूँछताछ की जिसमें कुछ अन्य छात्र लिप्त पाये गये, इस गैर-अनुशासनात्मक कृत्य के कारण बोर्ड ने अगले 15 दिन आर्थात् दिनांक 13/04/2022 से दिनांक 28/04/2022 तक बु0वि0 परिसर एवं हॉस्टल में प्रतिबंध कर दिया है

Registrar
Bundelkhand University
JHANSI

(प्रो० आर० के० सैनी)
कुलानुशासक
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
Mob: 9076501608, 9412322576

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP64970386320165X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP64970386320165X
Certificate Issued Date	:	27-Mar-2025 01:28 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14533704/ JHANSI SADAR/ UP-JHS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14533704271652504443339X
Purchased by	:	SHUBHAM PATEL SO SUNIL KUMAR PATEL
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHUBHAM PATEL SO SUNIL KUMAR PATEL
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHUBHAM PATEL SO SUNIL KUMAR PATEL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY Virendra Kumar Mishra Advocate JHANSI GOVT. OF U.P. (INDIA)

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

शपथ पत्र

समक्ष :– कुल सचिव बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी उ0प्र0

शपथ पत्र मिनजानिव शुभम पटेल पुत्र सुनील कुमार पटेल निवासी वॉटर टेंक के पास 1327–ए पं दीनदयान नगर खाती बाबा रोड जिला झांसी उ0प्र0 284003

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है।
2. यह कि शपथकर्ता बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झॉसी में MSC जन्तु विज्ञान में द्वितीय सेमेस्टर में अध्यानरत है ।
3. यह कि शपथकर्ता व अन्य विभागो के छात्र भी 07.03.2025 को विज्ञान भवन के सामने हो रहे कार्यकम में थे भीड में असमंनजिस के कारण प्रो0 आर0के0 सैनी साव वहा आ गये जिस कारण आसमंजसि व भीड के कारण में उन्हे पहचान नही पाया व भीड में व गलतफैमी के कारण अज्ञान्ता वश मुझसे दुर्व्यवहार हो गया ।
4. यह कि शपथकर्ता उक्त प्रोपेसर के साथ दुर्व्यवहार हो जाने पर में शर्मिदा हूँ तथा में क्षमा प्रार्थी हूँ आगे से इस तरह का दुर्व्यवाहार नही होगा अगर भविष्य में होता है तो शपथकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

सत्यापित आज दिनांक 27.03.2025 को अहाता कचहरी झांसी में की गई है।

शपथकर्ता

Shubham Patel

Serial No. 22? Date 27.03.25

Certified that the foregoing statement sworn before me this day at ... by Shri/Smt. Shubham Patel whom the contents of this affidavit have been read over and explained and who is identified by ...

Received Fees ... Notary ...

Virendra Kumar Mishra Advocate

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0517 – : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

दिनांक 29/03/2025

विभागाध्यक्ष,

M.Sc. Zoology, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झाँसी

विषय : छात्र शुभम पटेल द्वारा संकाय प्रमुख प्रो0 राजेश कुमार सैनी से की गई हाथापाई और विश्वविद्यालय से निष्कासन के संबंध में ।

दिनांक 07 मार्च 2025 को माननीय कुलाधिपति महोदया के पत्रांक सं0 बु0 वि0 /आर0 कैंप/ 2025/5039 के आदेशानुसार पढे विश्वविद्यालय बढ़े विश्वविद्यालय" का कार्यक्रम प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे के बीच विज्ञान भवन में संचालित किया गया था। इस कार्यकम का दायित्व विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो0 राजेश कुमार सैनी का था। संकाय प्रमुख द्वारा बैठक की व्यवस्था देखी जा रही थी, इसी दौरान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल, **M.Sc Zoology** द्वितीय सेमेस्टर के छात्र द्वारा संकाय प्रमुख से बदतमीजी की गई और साथ ही संकायाध्यक्ष के साथ हाथापाई की गई।

छात्र शुभम पटेल को उक्त कृत्य करने पर कुलानुशासक मण्डल द्वारा एक सेमेस्टर के लिये विश्वविद्यालय से निष्काशित किया गया था ।

छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल ने अपनी माताजी के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर अपनी गलती मानते हुये एक लिखित शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।

कुलानुशासक मण्डल के समक्ष छात्र शुभम पटेल द्वारा अपनी गलती लिखित एवं मोखिक रूप मे स्वीकार करने के उपरांत छात्र का विश्वविद्यालय एवं विभाग से प्रतिबंध समाप्त किया जाता है।।

उप कुलानुशासक

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर /2025 / 178-180 दिनांक : 25 / 04 / 2025

प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ

1 माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
2 कुलसचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
3 छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल

उप कुलानुशासक

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्यालय : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0517 — : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

दिनांक 24/01/2025

महेश अस्थाना ,
बी0 आर्क0 Final year , Room No. 106
अमन सिंह, Room No. 107

आपके द्वारा विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास में लगे हुये गीजर को चोरी कर विश्वविद्यालय के परीसर के बाहर ले जा कर बेचने की घटना का लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा लिखित रूप मे सूचना दी गई है । उक्त घटना की जानकारी सुरक्षा गार्ड द्वारा मुख्य कुलानुशासक एवं लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला को लिखित रूप मे दी गई है जिसकी पुस्टी स्वम आपके द्वारा मेरे समक्ष भी की गई है । अत: अनुशासनहीनता एवं चोरी की घटना का संगयान लेते हुए प्रोक्टोरियल बोर्ड ने आज दिनांक 24 -01-2025 को आप दोनों को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास से निष्कासित कर दिया है। उपरोक्त दोनों छात्र आज शाम 5 बजे तक छात्रावास का कमरा खाली कर दें । उक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में आपके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य कुलानुशासक

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर /2025/278 दिनांक : 24/ 01/ 2025
प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ
1 . प्रोवोस्ट
2. वार्डन लार्डबुद्धा
3. माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
4 . कुलसचिव , बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , झाँसी

मुख्य कुलानुशासक

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास० : 2321214
फैक्स : 0517 – : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

दिनांक 24/01/2025

आशुतोष तिवारी,
BMLT III year , रूम न0

आपके द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2025 को विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास में कैमरा के साथ तोड़फोड़ करने का प्रयाश किया गया था जिसकी सूचना 23 जनवरी को सुरक्षा गार्ड द्वारा मुख्य कुलानुशासक एवं लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला को लिखित रूप मे दी गई थी। छात्रावास के वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा अपने लिखित पत्र के माध्यम से मुख्य कुलानुशासक को दिनांक 24 जनवरी 2025 को इस घटना से अवगत कराया है। अत: छात्र आशुतोष तिवारी, BMLT III year , को अनुशासनहीनता एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टि के साथ तोडफोड करने का दोषी पाये जाने पर, लार्ड बुद्धा छात्रावास से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। उक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में आपके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य कुलानुशासक

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर /2025/२०७२.दिनांक : 24 / 01/ 2025
प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ
1 . HOD, BMLT III year
2. प्रोवोस्ट
3. वार्डन लार्डबुद्धा
4. माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
5 . कुलसचिव , बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , झाँसी

मुख्य कुलानुशासक

कुलानुशासक
बु० वि० वि०, झांसी

सूचित करना है कि छात्रावास परिसर में निम्नलिखित दो घटनाओं में शामिल छात्रों को Identify कर लिया गया है।

1- कल दिनांक 23/1/25 को OBC छात्रावास के गेट पर लगे कैमरे को श्री आशुतोष तिवारी, बी०एम०एल०टी० तृतीय वर्ष, ने तोड़ा, जिसकी पुष्टि पुष्टि वहाँ तैनात गार्ड ने किया, साथ ही OBC छात्रावास के वार्डन ने भी यह पुष्टि की कि श्री आशुतोष तिवारी ने घटना को अंजाम दिया। आशुतोष तिवारी, गौतम बुद्ध छात्रावास का निवासी है।
इसकी सूचना उनके कोर्स के HOD, श्री लवकुश द्विवेदी को भी दे दी गई है।

2- करीब $2\frac{1}{2}$ महीने पहले छात्रावास के पुराने गीजर को बेचने का प्रयास करने में
107 [श्री महेश अस्थाना, बी० फार्मा अन्तिम वर्ष
सिंह (107) की पहचान गार्ड द्वारा कर ली गई है।
श्री महेश अस्थाना भी गौतम बुद्ध पुरुष छात्रावास का निवासी है।

अतः उक्त घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Bshukla
24/1/25
(Er. Brajendra Shukla)
Warden Gautam Buddha Hostel

सुरक्षा अधिकारी महोदय
बु. वि. झाँसी

विषय- L.B. Boy hostal के कैमरे से छेड़खानी करने के सम्बन्ध में

महोदयजी

अवगत कराना चाहता हूं कि आज दिनांक-23/1/2025 समय लगभग 4:30 बजे शाम को एक L.B. का छात्र कैमरे के साथ छेड़खानी कर रहा था वहां मौजूद गार्ड ने छात्र को रोका और सूचना तुरन्त Hostal warden को दी सूचना पर warden (Vineet sir) व Virendra saxena सर पहुँच गये।

महोदयजी उचित कार्यवाही करने की कृपा करें (धन्यवाद)

सुरक्षागार्ड - [signature]
Thakur

Date - 23/1/2025

[signature]
सुरक्षा सुपरवाइज़र
बु. वि. झाँसी

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्यालय : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0517 – 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

दिनांक 11/01/2025

1. सत्यम गुप्ता , B. Tech. Biotech IVth year, Room No. 126
2. शिवांशु तिवारी B.Sc. Bio tech IInd year, Room No. 227
3. अनन्य रायज़ादा B.Sc (Forensic) Ist year , Room No. 207
4. अमन सिंह यादव, BCA Ist year (OBC छात्रावास) , Room No.
5. शिवांशु पाल , B. Tech. (Foodtech) IVth year, Room No.

दिनांक 9 जनवरी, 2025 को विश्वविद्यालय के कुलसचिव के द्वारा, लार्ड बुद्धा छात्रावास में तोड़फोड़ करने, प्रथम वर्ष के छात्रों के कमरों पर पत्थर फेंकने, कमरों के दरवाजों को तोड़ने, छात्रावास परिसर में गाली गलोंच करने एवं मारपीट करने के संबंध में एक तीन सदस्य जाँच समिति (प्रो0 आर0 के0 सैनी, प्रो0 मुन्ना तिवारी एवं डॉ0 सुनील त्रिवेदी) गठित की गई थी, जिसको संगयान में लेकर समिति के सदस्य, वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला, डॉ0 बृजेश लोधी, डॉ0 प्रकाश चन्द्र ने दिनांक 9 जनवरी, 2025 के शाम 6.30 बजे लार्ड बुद्धा छात्रावास का निरीक्षण किया एवं छात्रावास के सभी छात्रों से सम्यक पूछ-ताछ की।

उपरोक्त सभी छात्रों के विरुद्ध लार्ड बुद्धा छात्रावास में तोड़फोड़ करने, प्रथम वर्ष के छात्रों के कमरों पर पत्थर फेंकने, कमरों के दरवाजों को तोड़ने, छात्रावास परिसर में गाली गलोंच करने के साथ मारपीट करने का आरोप, लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा, छात्रावास के अन्य छात्रों से पूछताछ करने के बाद अपने लिखित पत्र के माध्यम से प्रोवोस्ट एवं मुख्य कुलानुशासक को दिनांक 10 जनवरी 2025 अवगत कराया है ।

प्रोक्टोरियल बोर्ड ने आज दिनांक 11-01-2025 को 12.15 पर उपरोक्त सभी छात्रों से पुन: गहन पूछ-ताछ की, जिसके उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी छात्रों को कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास एवं ओबीसी छात्रावास से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। आप सभी का विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सभी छात्रावासों में प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में आपके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही कीजायेगी।

मुख्य कुलानुशासक

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर /2025/2075...दिनांक : 11/ 01/ 2025
प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ

1 . प्रोवोस्ट
2. वार्डन लार्डबुद्धा एवं ओबीसी छात्रावास
3. माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
4 . कुलसचिव , बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , झाँसी

मुख्य कुलानुशासक

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या० : 2320496
कुलसचिव : निवास० : 2321214
फैक्स : 0517 — : 2320761

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

B++ (ABOVE 5 STAR) ACCREDITION BY NAAC (UGC)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

PROCTORIAL BOARD

दिनांक 11/01/2025

1. सुभंकर मोर्य , B.Sc (Ag) IInd year , Room No. 120
2. खुशाल राठोर B.Sc (Ag) IInd year, Room No.
3. आयुष , B.Sc. Bio tech Ist year, Room No.
4. मयूरेश , B.Sc. Bio tech Ist year, Room No.
5. आशुतोष, BMLT , Room No.
6. शिखर त्रिपाठी , BCA II year , Room No. 225
7. अमित , Room No. 218

दिनांक 9 जनवरी, 2025 को विश्वविद्यालय के कुलसचिव के द्वारा, लार्ड बुद्धा छात्रावास में तोड़फोड़ करने, प्रथम वर्ष के छात्रों के कमरों पर पत्थर फेंकने, कमरों के दरवाजों को तोड़ने, छात्रावास परिसर में गाली गलोंच करने एवं ITHM एवं biotech के छात्रों (रोहित सोनी एवं शिवांश राम) के साथ मारपीट करने के संबंध में एक तीन सदस्य जाँच समिति (प्रो0 आर0 के0 सैनी, प्रो0 मुन्ना तिवारी एवं डॉ0 सुनील त्रिवेदी) गठित की गई थी, जिसको संगयान में लेकर समिति के सदस्य, वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला, डॉ0 बृजेश लोधी , डॉ0 प्रकाश चन्द्र ने दिनांक 9 जनवरी, 2025 के शाम 6.30 बजे लार्ड बुद्धा छात्रावास के सभी छात्रों से सम्यक पूछ-ताछ की।

उपरोक्त सभी छात्रों के विरुद्ध लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन डॉ0 बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा, भी आरोपित होने का शक जाहिर किया गया है , अत: उपरोक्त सभी छात्रों को अवगत कराया जाता है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के लार्ड बुद्धा छात्रावास के वार्डन द्वारा अनुशासनहीनता एवं छात्रावास में तोड़फोड़ की रिपोर्ट तथा प्रोवोस्ट एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा सम्यक् जांच के उपरांत आप सभी छात्रों को कड़ी एवं अंतिम चेतावनी दी जाती है की आप सभी विश्वविद्यालय के छात्रावास में अनुशासन एवं नियमों का पालन करेंगे । उक्त केअनुपालन न होने की स्थिति में आपके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य कुलानुशासक

पत्रांक : बु० वि० / प्रॉक्टर /2025/2074..दिनांक : 11/ 01/ 2025
प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ

1 . प्रोवोस्ट
2. वार्डन लार्डबुद्धा एवं ओबीसी छात्रावास
3. माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ
4 . कुलसचिव , बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , झाँसी

मुख्य कुलानुशासक

कुलसचिव जी/मान्नीय कुलपति जी,

आज दिनांक 07.03.2025 को मान्नीय कुलाधिपति महोदया के पत्रांक सं0 बु0वि0/आर0कैम्प/2025/5039 के आदेशानुसार पढ़े विश्वविद्यालय–बढ़े विश्वविद्यालय का कार्यक्रम प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे के बीच विज्ञान भवन में संचालित किया गया था। इस घटना के प्रमुख तत्व निम्नवत है –

1. इस कार्यक्रम का दायित्व विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो0 राजेश कुमार सैनी का था।
2. इस कार्यक्रम के संकाय प्रमुख द्वारा बैठक की व्यवस्था देखी जा रही थी, इसी दौरान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल, M.Sc Zoology द्वितीय सेमेस्टर के छात्र द्वारा संकाय प्रमुख से बदतमीजी की गई और साथ ही संकायाध्यक्ष विज्ञान के साथ हाथापाई की गई।
3. इस कार्यक्रम के दौरान छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल, छात्र M.Sc. (Zoology) द्वितीय सेमेस्टर द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाले जाने और शांतिभंग करने का प्रयास किया गया।
4. विज्ञान भवन में कुलानुशासक मण्डल और सुरक्षा गार्ड के पहुचने पर भी छात्र द्वारा सभी के साथ अनुचित व्यवहार किया गया।
5. जन्तु विज्ञान के समन्वयक डा0 आदित्य नारायण ने भी संकाय प्रमुख प्रो0 राजेश कुमार सैनी से उक्त छात्र को अभ्रदता के साथ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हुये देखा।
6. उक्त छात्र ने भी अपने लिखित कथन में प्रो0 राजेश कुमार सैनी के साथ किये गये दुरव्यवहार को स्वीकार किया है।
7. प्रो0 राजेश कुमार सैनी, संकायाध्यक्ष विज्ञान द्वारा अपने लिखित कथन में छात्र द्वारा किये गये अनुचित व्यवहार/अभ्रदता और हाथापाई की सूचना से कुलसचिव को अवगत कराया गया है।

संस्तुति

1. छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल, M.Sc. Zoology द्वितीय सेमेस्टर द्वारा किया गया कृत्य दण्डनीय प्रकृति का है।
2. संकाय प्रमुख (विज्ञान) प्रो0 राजेश कुमार सैनी से छात्र द्वारा की गई हाथापाई और बदतमीजी पूरे शिक्षक समाज के लिये अक्षम्य है।
3. उक्त छात्र पर कठोर से कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि यह कार्यक्रम मान्नीय कुलाधिपति महोदया द्वारा आदेशित था जिसमें उक्त छात्र द्वारा कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करते हुये अन्य छात्रों को कार्यक्रम से बाहर रहने के लिये उकसाना एक गंभीर प्रकृति में आता है।
4. कुलानुशासक मण्डल द्वारा उक्त छात्र को एक सेमेस्टर के लिये विश्वविद्यालय से निष्काशित किया जाता है। इस अवधि में छात्र शुभम पटेल M.Sc. Zoology द्वितीय सेमेस्टर का विश्वविद्यालय में प्रवेश भी प्रतिबन्धित किया जाता है।
5. छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल अपने पिता/अभिभावक के साथ 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

संलग्नक– यथोक्त्

(प्रो0 विनीत कुमार)	(डा0 ममता सिंह)	(डा0 उपेन्द्र सिंह तोमर)
7/3/2025 (डा0 सुनील त्रिवेदी)	(डा0 प्रशान्त मिश्र)	7/3/25 (डा0 शुभांगी निगम)
07/3/25 (डा0 सुमिरन श्रीवास्तव)	(डा0 प्रेम प्रकाश राजपूत)	(डा0 मुकुल पस्तौर)
(डा0 चेतन आनन्द दुबे)		

माननीय कुलपति महोदय / माननीय कुलसचिव

एम.एस.सी. छात्र शुभम पटेल ने आज दिनांक 7/3/025 में हमारे आदरणीय डीन साइंस महोदय के साथ अभद्रता के साथ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया है। आप उक्त एमएससी छात्र ~~के साथ इस प्रकार से~~ के साथ नियमानुसार कार्यवाही करना चाहें।

उक्त घटना के समय पटे विश्वविद्यालय बड़े विश्वविद्यालय के तहत विज्ञान विभाग में कार्यक्रम चल रहा था उस समय सभी शिक्षकों के साथ में स्वयं उपस्थित था।

संलग्नक: छात्र की फाइल

भवदीय

AdityaNarayan 7/3/025

(डा० आदित्य नारायण)

तत्काल

प्राक्टोरियल बोर्ड

कृपया प्रकरण पर यथोचित निर्णय लें।

Sd/-
7/3/25

कुलानुशासक मण्डल
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी (यू० पी०) 284128

दिनांक : 07/03/25

विषय: विज्ञान भवन के सामने "पंदगा विश्वविद्यालय / बंदगा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के समय के संम्बध मे।

दिनांक : 07/03/2025

महोदय जी,

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं शुभम पटेल जन्तु विभाग के M.Sc II^nd सेम का छात्र धूप मे स्वकामक आधे घण्टे बैठने के बाद गेट पर था, तभी संकाय प्रमुख के बारे मे नही जानता था, तथा उनको नही पहचानता था।

मेरी हुई गलती के लिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझसे हुए दुरव्यवहार अंजाने मे हो गया, विभाग मे नियमित रूप से उपस्थित रहता हूँ व पढाई करता हूँ। तथा मेरा आचरण ठीक रहा है तथा मेरे शिक्षको से भी मेरे आचरण के बारे मे पता कर सकते है। कृपया मुझे क्षमा करने की कृपा करें भविष्य मे इस तरह की आचरण नही होगा

अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मुझे क्षमा करने की कृपा करें।

प्रार्थी

शुभम पटेल
M.Sc. जन्तु विभाग
2024-25
पिता: सुनील कुमार पटेल
मो० 7007919659

माननीय कुलपति जी / कुलसचिव जी

कृपया अवगत कराना है कि आज दि० 07/03/2025 को महामहिम राज्यपाल महोदया के आव्हान पर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में बढ़े विश्वविद्यालय बढ़े विश्वविद्यालय एवं दहेज उन्मूलन एवं नशामुक्ति शपथ कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर स्थित विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था जो कि सुबह 11.00 बजे से 12.30 तक का कार्यक्रम था। विज्ञान भवन में कार्यक्रम की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी।

उक्त कार्यक्रम पूर्णतः व्यवस्थित चल रहा था तभी करीब 11.15 बजे कुछ छात्र / छात्रायें कार्यक्रम छोड़कर विज्ञान भवन के गेट पर खड़े होकर हंसी ठिठोली करने लगे। यह देखकर मैं उन छात्र/छात्राओं को कार्यक्रम में भाग लेने या वहाँ से चले जाने के लिए कहा। इन्हीं छात्रों में से एक छात्र शुभम पटेल पुत्र श्री राजकुमार पटेल, M.Sc. II nd Sem Zoology मेरे साथ बहस कर बदतमीजी एवं हाथापाई करने लगा जो कि (Photos) देखकर भी पता चलता है (संलग्न)

श्रीमान् जी निवेदन है कि छात्र द्वारा की बदतमीजी एवं हाथापाई की घटना को संज्ञान में लेते हुए छात्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाई करने की कृपा करें।

दि०: 07/03/2025

(हस्ताक्षर)

(प्रो० आर० के० सोनी)

संकायाध्यक्ष, विज्ञान

790

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी

विभाग: विधि संस्थान

पत्रिका संख्या: BU/B.J.R./2025/3415

टिप्पणी एवं आदेश

माननीय कुलपति जी,

कृपया अवगत कराना है कि बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान में अध्ययनरत कुछ उपद्रवी छात्रों द्वारा विभाग का माहौल आये दिन खराब किया जा रहा है, विभाग में अध्ययनरत छात्रों को आंदोलन करने के लिए उकसाना, छात्रों से कक्षाओं का बहिस्कार कराया जाना एवं अन्य उपद्रवी घटनाओं को अंजाम देना इन्होंने अपना कार्य बना लिया है। इन छात्रों द्वारा कक्षाओं में पठन-पाठन सम्बन्धी कार्य को छोड़कर आये दिन उपद्रव के कार्य विश्वविद्यालय परिसर में किये जाते है ये केवल अपने विभाग के छात्रों को आंदोलन करने हेतु नहीं उकसाते है, बल्कि अन्य विभाग के छात्र/छात्राओं को भी हंगामा करने हेतु प्रोत्साहित करते है। दिनांक 24.03.2025 को भी इन छात्रों द्वारा पाठ्यकम शुल्क का मुद्दा बनाते हुये परीक्षा भवन में हंगामा किया गया एवं सेशनल परीक्षा सम्बन्धी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्रों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को आदेश प्रदान करने की कृपा करें जिससे की विभाग की गरिमा बनी रहे एवं विभाग में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सकें।

1. अनिरूद्ध प्रताप सिंह भदौरिया (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
2. अंशल छत्रसाल (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
3. दीपेन्द्र कुमार (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
4. विराट सिंह (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
5. अनीकेत यादव (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
6. अंकित कुमार (एलएल0बी0 VI Semester छात्र)
7. सचिन यादव (बी0ए0एलएल0बी0 X Semester छात्र)
8. शैलेन्द्र सिंह यादव, (भूतपूर्व छात्र)

28-3-25
समन्वयक
विधि संस्थान
Co-ordinator
B.J.R. Institute of Law
Bundelkhand University, Jhansi

28/3/25

कुलपति,
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
झाँसी।

Registrar.

कुलपति कार्यालय-
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
आज प्राप्त 3180
प्राप्त तिथि 28/3/25

Chief Proctor

28/3/25

सेवा में,

माननीय ~~कुलपति~~ महोदय, Registrar / Proctor,

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय,

झाँसी, उत्तर प्रदेश

विषय: परीक्षा भवन में पटाखे फोड़ने के लिए क्षमा याचना एवं एलएलबी पाठ्यक्रम से निष्कासन हेतु पुनर्वास का अनुरोध

आदरणीय महोदय,

मैं, दीपेंद्र कुमार, बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में एलएलबी तृतीय वर्ष का छात्र, अत्यंत विनम्रता के साथ यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि परीक्षा भवन में पटाखे फोड़ने की अनुचित घटना में मेरी संलिप्तता के लिए हृदय से क्षमा माँग सकूँ। मैं पूरण रूप से स्वीकार करता हूँ कि मेरा यह कृत्य विश्वविद्यालय के अनुशासन और मर्यादा के विरुद्ध था, और इसके लिए मैं पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूँ।मुझे अपने इस व्यवहार पर गहरा पश्चाताप है, जो कि जानबूझकर नहीं, अपितु क्षणिक मूर्खता का परिणाम था।

मैं इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई के अवसर को अत्यधिक महत्व देता हूँ और अनुशासन के महत्व को समझता हूँ। मेरे इस कृत्य के कारण एलएलबी पाठ्यक्रम से निष्कासन ने मुझे मेरी गलती की गंभीरता का एहसास कराया है, और मैं इसे सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ।अत्यंत नम्रता के साथ, मैं आपसे क्षमा प्रदान करने और मेरे निष्कासन को रद्द कर एलएलबी पाठ्यक्रम में पुनः नामांकन की अनुमति देने का अनुरोध करता हूँ।

मैं विश्वविद्यालय के सभी नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करने, अनुकरणीय आचरण बनाए रखने, और भविष्य में किसी भी गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि में शामिल न होने का पवित्र वचन देता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दूँगा और विश्वविद्यालय के शैक्षिक वातावरण में सकारात्मक योगदान दूँगा।मैं विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों, और अपने सहपाठियों से इस घटना के कारण हुई असुविधा के लिए हृदय से माफी माँगता हूँ। मैं विश्वविद्यालय दवारा निर्धारित किसी भी सुधारात्मक उपाय को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ ताकि अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध कर सकूँ।

08/05/2025

मैं आपसे कृपापूर्वक क्षमा और अपनी शिक्षा को इस सम्मानित संस्थान में जारी रखने के लिए एक अवसर प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आपका यह दयालु निर्णय मुझे मेरे शैक्षिक जीवन को पुनर्जनन करने और एक जिम्मेदार छात्र के रूप में स्वयं को स्थापित करने का अवसर देगा।

मेरे आवेदन पर विचार करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं आपके करुणापूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा में हूँ और आपकी दया के लिए सदा आभारी रहूँगा।

सादर,

दीपेंद्र कुमार दीपेन्द्र कुमार

रोल नं - 221011037044

एलएलबी तृतीय वर्ष

बाबू जगजीवन राम विधि संस्थान

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर

झाँसी, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 06 मई, 2025